सरकार ता: पक्की स्टेज

(कायदा — 129)

...न रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

...कारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
SJ-188	4/21	17.02.2021	6/10/2021- 27/1/2022- 28/4/22 साक्ष्य तिथि 20/12/22	तामिल Exparty साक्ष्य 6/9/22 28.6.23 P.D. पालना 19/7/2023 2.8.23 P.D. पालना प्राप्त हुई है और साक्षिय पत्रावली है

अनवान

श्री सुनिता D/o हीरालाल मीणा श्री चुन्नीलाल S/o रोता मीणा

निवासी छोटी बिजौलियां बगै ② निवासी छोटी बिजौलियां बगै ②

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

G L आचार्य

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / बबयूनाव

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी बनाम बिजौलियां

किस्म मुकदमा 53-188 RTA नम्बर 04/2021 सन ~~2020~~ 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.2.2021	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 28.4.21 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/4/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान् P.O. सा. दौरे~~ कोरोना अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 9.6.21 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/6/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान P.O. सा. दौरे~~ कोरोना अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 14.7.21 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान P.O. सा. दौरे~~ पर है। पत्रावली दिनांक 25.8.21 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
25/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 6.10.21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

दिनांक	कार्यवाही
18/11/21	पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 में पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी ~~हाजिर~~/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नही बनने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि. 23.12.21 को वास्ते ~~दलबदी~~ पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
23/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी गण को पूर्व में सम्मन तामील हो चुकी है। प्रतिवादी गण स. 2 बार-2 आवाज दिलाई गई। गैर हाजिर। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 27.01.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
27.1.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 31/3/22 को वास्ते ... पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
31.3.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ~~[illegible]~~ वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 28.5.2022 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
28.7.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 9.6.22 को पेश हो। बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
09/06/2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 4/8/22 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
4/8/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी 6/9/22 को पेश हुई।
7/9/22	पत्रावली में दिनांक 6/9/22 की पेशी दी गई थी। किंतु, जिलाधीश महोदय द्वारा दि. 6/9/22 को जिले में अवकाश घोषित किये जाने से आज न्यायालय में पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पेशी दि. 18/10/22 को पेश हो। ... जिला-भीलवाड़ा

APP-
Crim-

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया।

सुनिता बनाम मुन्नीलाल

किस्म मुकदमा 53-188 RTA नं. 04/21 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हु
18/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 9.11.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
9/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। साक्ष्यवादी में PW-1 सुनिता मीणा एवं PW-2 नन्दलाल सुथार के बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली है। वकीलवादी और गवाह पेश नही करना चाहते है अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दी. 21.12.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
21/12/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5.1.23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11.1.23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5.2.23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/2/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 15/3/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
15/3/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 19/4/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
19/4/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25/5/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
25/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री हेतु अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। व तादाद-पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53-188 रा.का.अधि. डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई, तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर इस आशय की जारी की जाती है। की विवादित भूमि मौका पर कब्जे अनुसार कर बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28/6/23 तक पेश करें। पत्रावली वास्ते PD पालना दिनांक 28/6/23 को पेश हो। बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा
28/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते PD पालना दिनांक 19/07/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो हुक्म की ताम[illegible] में जारी हु[illegible]
17/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते P.O. पालना दिनांक 2/8/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
2/8/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/[illegible] उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्[illegible] दिनांक 20/9/23 को वास्ते P.D. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/09/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादीया सुनिता उपस्थित। तहसील बिजौलिया से बँटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीया द्वारा बँटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस आगामी दिनांक 13/12/2023 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	बटवारा प[illegible] स्वीकार है सुनिता
13/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 14/12/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
14/12/23	[illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. [illegible] पर है। प्रावली दिनांक 30/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी
२०/१२/२३	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, एवं विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।	
	उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 17/02/2021

राजस्व वादपत्र संख्या 4/2021

अनवान

01. सुनिता पुत्री हीरालाल जाति मीणा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. लीला पुत्री दुर्गाशंकर जाति मीणा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............वादीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता दौला जाति मीणा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

...............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 20/12/2023
डिक्री दिनांक : 20/12/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री श्री गिरधारीलाल आचार्य हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री मूर्तिब हों। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
01	सुनिता पुत्री हीरालाल 1/2 मीणा, लीला पत्नि दुर्गाशंकर 1/2 मीणा सा. देह खातेदार	194 693/2 945	0.0324 0.2053 0.1133
	योग	किता 03	**0.3510**
02	चुन्नीलाल पुत्र दोला मीणा सा. देह खातेदार	693/1	0.1184
	योग	किता 01	0.1184

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....माह .... वर्ष 2023 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक /2023 को मुर्तिब की गई।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
मेहनताना वकील ( )	—		मेहनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः– 04/2021 **दायर तारीख 17.02.2021**

अनवान

01. सुनिता पुत्री हीरालाल जाति मीणा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. लीला पुत्री दुर्गाशंकर जाति मीणा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............वादीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता दौला जाति मीणा उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :–20/12/2023

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयान एवं प्रतिवादी नं0 1 मौजा बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 194 रकबा 4 बिस्वां, खसरा नं0 693 रकबा 2 बीघा व खसरा नं0 945 रकबा 14 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वां के अभिलिखित सह– खातेदार हैं। वादियान का वाद्रगस्त जायदाद कृषि भूमि में 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा होकर अविभाज्य कृषि खाते की भूमि हैं। वादीयान ने वादग्रस्त भूमि में अपने 3/4 हिस्से को न तो प्रतिवादी नं0 1 को एवं न ही अन्य किसी को अन्तरित अथवा काश्त हेतु दिया हुआ है। वादग्रस्त जायदाद के संयुक्त एवं अविभाज्य रहते सह–खातेदारान का उनके हिस्से अनुसार कब्जा जरिये काश्त के हैं।

वादीगण अनुतोष चाहते है कि :– (अ) मौजा बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 194 रकबा 4 बिस्वां, खसरा नं0 693 रकबा 2 बीघा व खसरा नं0 945 रकबा 14 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वां में वादियान के 3/4 हिस्से की सीमा तक भूमि का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के सादिर फरमायी जावें।

(ब) प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त जायदाद में वादीगण के 3/4 हिस्से काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। एवं प्रतिवादी नं0 1 अपने 1/4 से अधिक कृषि लाभ अर्जित नहीं करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी जरिये सम्मन मय नकल भेज करवाई गई। बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

वकील वादी ने शहादत वादी मे PW-1 सुनिता पिता हीरालाल मीणा नि0 छोटी बिजौलियां एवं PW-2 नन्दलाल पिता भागीरथ सुथार नि0 बिजौलियां के बयान कराये गये। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल विवादित जायदाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 मौजा बिजौलियां खुर्द की पेश की हैं।

प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि मौजा बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 194 रकबा 4 बिस्वां, खसरा नं0 693 रकबा 2 बीघा व खसरा नं0 945 रकबा 14 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वां में वादियान के 3/4 हिस्से की सीमा तक भूमि का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के सादिर फरमायी जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त जायदाद में वादीगण के 3/4 हिस्से काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें एवं प्रतिवादी नं0 1 अपने 1/4 से अधिक कृषि लाभ अर्जित नहीं करे। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन एवं चिन्तन किया जाकर एवं राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर आया हैं कि वादीगण विवादित जायदाद में अपने 3/4 हिस्से की सीमा तक मीट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराने की अधिकारी होने से इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलियां से मांगने की तहरीर तहसीलदार बिजौलियां को जारी की जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया गया जिसे वादिया द्वारा स्वीकार किए जाने से वकील वादी द्वारा **अंतिम डिक्री** जारी किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

–: आदेश :–

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत** मौजा बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 194 रकबा 4 बिस्वां, खसरा नं0 693 रकबा 2 बीघा व खसरा नं0 945 रकबा 14 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वां में वादियान के 3/4 हिस्से की सीमा तक भूमि का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त जायदाद में वादीगण के 3/4 हिस्से काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें। वादीगण द्वारा न्याय शुल्क बाबत नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी होकर मुर्तिब हो।

आदेश आज **दिनांक** २०/१२/**2023** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)